संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

"विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 – A, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0) - 462011
फोन : 2550909, फैक्स : 2550912, E- mail directorate.wcd@mp.gov.in/ Website www.mpwcdmis.org

क्र./मबावि/SAP-2/2026/2523 भोपाल,दिनांक: 29/06/2026

विज्ञप्ति

आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं आंगनवाडी सहायिका के पूर्णतः अस्थाई एवं मानदेय आधारित, मानसेवी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन (वर्ष 2026 फेज–1)
आवेदन आमंत्रण सूचना

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश अन्तर्गत जिलों की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं आंगनवाडी सहायिका के **पूर्णतः अस्थाई एवं मानदेय आधारित, मानसेवी रिक्त पदों** हेतु पात्र महिला अभ्यर्थी से जिलेवार निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु **MP Online द्वारा तैयार "चयन पोर्टल" (https://chayan.mponline.gov.in)** के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

स.क्र.	संभाग	जिला	रिक्त पदों की संख्या	
			आगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सहायिका
1	इंदौर	अलीराजपुर	10	22
2		इंदौर	20	43
3		खंडवा	15	32
4		खरगोन	34	40
5		झाबुआ	21	23
6		धार	30	82
7		बडवानी	14	44
8		बुरहानपुर	07	25
9	उज्जैन	आगर मालवा	06	25
10		उज्जैन	31	45
11		देवास	16	35
12		नीमच	08	32
13		मंदसौर	09	25
14		रतलाम	31	62
15		शाजापुर	08	22
16	ग्वालियर	अशोकनगर	05	15
17		गुना	19	38
18		ग्वालियर	15	39
19		दतिया	16	26
20		शिवपुरी	23	37
21	चंबल	भिण्ड	08	37
22		मुरैना	08	18
23		श्योपुर	16	37
24	जबलपुर	कटनी	09	15
25		छिंदवाडा	38	48
26		जबलपुर	12	38

स.क्र.	संभाग	जिला	रिक्त पदों की संख्या	
			आगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सहायिका
27		डिंडौरी	14	42
28		नरसिंहपुर	18	28
29		पाण्ढुर्ना	05	10
30		बालाघाट	24	51
31		मंडला	19	26
32		सिवनी	20	48
33	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	13	21
34		बैतूल	20	71
35		हरदा	07	17
36	भोपाल	भोपाल	10	29
37		राजगढ़	19	70
38		रायसेन	14	29
39		विदिशा	19	73
40		सीहोर	14	28
41	रीवा	मैहर	07	14
42		मऊगंज	00	04
43		रीवा	09	31
44		सतना	11	30
45		सिंगरौली	02	08
46		सीधी	05	12
47	शहडोल	अनूपपुर	09	19
48		उमरिया	05	15
49		शहडोल	11	27
50	सागर	छतरपुर	14	37
51		टीकमगढ़	15	11
52		दमोह	13	41
53		निवाड़ी	06	06
54		पन्ना	04	17
55		सागर	25	47
कुल			**781**	**1767**

1. विज्ञापन में जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी उल्लेखित है। **बाल विकास परियोजनावार एवं आंगनवाड़ी केन्द्रवार रिक्त पदों का विवरण** संबंधित जिले/बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं **MP Online द्वारा तैयार "चयन पोर्टल" (https://chayan.mponline.gov.in)** पर उपलब्ध है।
2. नियुक्ति से संबंधित नियम, निर्देश, शर्ते, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित जानकारी MP Online द्वारा तैयार **"चयन पोर्टल"** (https://chayan.mponline.gov.in) **एवं विभागीय वेबसाइट पोर्टल** mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है।

3. एम.पी.ऑनलाइन के **"चयन पोर्टल" (https://chayan.mponline.gov.in)** पर आवेदन भरे जाने के संबंध में तिथि का विवरण निम्नानुसार है :–
   3.1 आवेदन पत्र जमा करने का प्रारंभ तिथि – दिनांक 01.07.2026
   3.2 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 13.07.2026
   3.3 आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि – दिनांक 15.07.2026
4. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यक योग्यताऐं एवं अहर्ताऐं :–
   4.1 जिस ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम एवं शहरी/नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम/वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं है।
   4.2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हायर सेकण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) अनिवार्य** है। अशासकीय संस्थाओं या अन्य राज्यों के विभिन्न अशासकीय बोर्डों द्वारा जारी अंक सूची (**12**वीं उत्तीर्ण) माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी समकक्षता सूची में सम्मिलित होने पर ही मान्य होगी । समकक्षता सूची में बोर्ड का नाम सम्मिलित नहीं होने पर आवेदिका पात्र नहीं होगी।
   4.3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु **दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में आयु 18 से 35 वर्ष** होना अनिवार्य है। आयु के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/10वीं बोर्ड की अंकसूची संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र, विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस की समयावधि में ही केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। **ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा / आफलाईन आवेदन मान्य नहीं होगें ।**
6. आवेदिका द्वारा रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन भरते समय ही आवेदन पत्र के साथ समस्त **प्रमाण–पत्र** PDF Format में अपलोड किये जायेंगे। आवेदन के उपरांत आवेदन में संशोधन की सुविधा निर्धारित अवधि हेतु ही उपलब्ध होगी। ऑनलाइन माध्यम से भरे गये आवेदन के प्रिंटऑउट की प्रति संबंधित आवेदिका द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी।
7. विभाग के संचालनालय, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा अन्य किसी भी कार्यालय को प्रेषित नियुक्ति संबंधी ऑफलाइन आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा। **केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे।**
8. ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा MP Online द्वारा तैयार **"चयन पोर्टल"** (https://chayan.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है। आवेदन MP Online द्वारा स्थापित कियोस्क के माध्यम से या स्वयं MP Online के पोर्टल पर भर सकते है। MP Online द्वारा भरे जाने वाले आवेदन हेतु शुल्क राशि रूपये 100/– एवं 18% GST निर्धारित है।
9. MP Online से संबंधित समस्या निराकरण हेतु **हेल्पलाईन नंबर– 0755–6720208** है।
10. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के विज्ञप्ति में शामिल पदों में माह जून 2026 तक रिक्त पद एवं माह जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक संभावित रिक्तियों को सम्मिलित किया गया है। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु पूर्व में विज्ञापन जारी किया गया था एवं आवेदन के पद प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित योग्यता एवं पात्रता के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं , उन केंद्रों के पदों को नियुक्ति हेतु पुनः रिक्त पदों की गणना में शामिल किया गया है।

11. जिन आंगनवाडी केन्द्रों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उनके संबंध में यदि कलेक्टर/अपर कलेक्टर/संभाग आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई वाद प्रचलित है अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई वाद निर्मित होता है या आंगनवाड़ी केन्द्र के क्षेत्र निर्धारण में कोई वाद निर्मित होता है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा अर्थात् चयन एवं नियुक्ति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।
12. आंगनवाड़ी केंद्र का नाम या संख्या त्रुटि पूर्ण प्रकाशित हो जाने पर विज्ञप्ति परियोजना अधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या/विज्ञापित रिक्त पदों में परिवर्तन/निरस्त का अधिकार विभाग का होगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(स्वर्णिमा शुक्ला)
संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास,
मध्यप्रदेश